कार्यालयः— वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।

(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0—मरार, जिला—रामगढ़ पिन—829117)

Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः— 2058 दिनांकः— 21.12.2021

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
पथ निर्माण प्रमंडल,
बोकारो।

विषय :— बरलंगा से कसमार भाया नेमरा पथ निमार्ण हेतु 17.233 हे0 (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 14.236 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि आपके द्वारा बरलंगा से कसमार भाया नेमरा पथ निमार्ण हेतु 17.233 हे0 (रामगढ़ वन प्रमंडल अन्तर्गत 14.236 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त पाया गया कि प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न नहीं है।

1. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित भूमि का पूर्ण भूमि विवरणी संलग्न नहीं है।
2. प्रस्ताव के साथ पार्ट—1 के कंडिका A-1 (x) में "Period for which land is proposed to be diverted" में 05 वर्ष अंकित किया गया है। स्पष्ट करें कि क्या 05 वर्ष के उपरान्त उक्त प्रस्तावित भूमि विभाग को वापस की जाएगी ?
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि से संबंधित KML File, की सॉफ्ट कॉपी CD में संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि का DGPS map में co-ordinates कुछ स्थान पर Degree minute और कुछ स्थान पर Decimal Format में अंकित है। अतः सभी co-ordinates को Degree minute format में अंकित किया जाय।
5. प्रस्ताव के साथ संलग्न Justification में Alternative Route examination with map नहीं किया गया है।
6. प्रस्ताव के साथ संलग्न CA, NPV Payment undertaking FC Act, 1980 के अनुरूप प्रपत्र में संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव के साथ लागत—लाभ विशलेषण में वन भूमि का CA & NPV मूल्य शून्य अंकित है।
8. प्रस्ताव के साथ अपयोजित की जाने वाली वन भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि दिया जाना है से संबंधित कोई भी सूचना प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।

9. प्रस्ताव के साथ संलग्न Project report में प्रस्तावित पथ की चौड़ाई से संबंधित सूचना अंकित नहीं किया गया है।
10. प्रस्ताव के साथ परियोजना से संबंधित DPR की प्रति संलग्न नहीं है।
11. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि का FRA Certificate and NOC संलग्न नहीं है।
12. प्रस्ताव के साथ संलग्न कुछ अभिलेखों पर प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है।
13. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वन भूमि पर अवस्थित वृक्षों की गणना सूची संलग्न नहीं है।
14. चुंकि प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्र में हाथियों एवं अन्य जंगली जानवरो का आवागमन बना रहता है अतः वन्य जीव प्रबंधन योजना तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः विषयगत प्रस्ताव को मूल रूप में इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त अभिलेख संलग्न करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि यथोचित अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।